फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री लक्ष्मणसिंह **विपक्षी :– श्री श्याम**

किस्म मुकदमा – विविध **पत्रावली संख्या : 68 / 19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 26.09.2023

पत्रावली अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान द्वारा शीघ्र सुनवाई किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः कोई शीघ्र सुनवाई किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत् दिनांक 25.11.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो जानकारी में आते ही प्रस्तुत करना बताया।

मूल वाद के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 148 / 18 दिनांक 29.06.2018 को दर्ज होकर दिनांक 15.07.2019 को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की गई। उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने का कथन कर उक्त डिक्री दिनांक 15.07.2019 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं एवं उभय पक्षकारान उक्त डिक्री को अपास्त कराने पर सहमत हैं। अतः उभय पक्षकारान सहमत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण संख्या 148 / 18 में निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2019 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:22 IST
Reason: SelfAttested